राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/461

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111–128 प्रार्थना-पत्र	286/24	18/12/24	स्वीकार 8/1/25	8/1/25

अनवान

श्री ओमप्रकाश पुत्र बालमुकन्द श्री कैलाशी बाई पत्नी घनश्याम

निवासी बिजौलियां निवासी उंदो का खेड़ा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री R.D- श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

: ओमप्रकाश बनाम कैलाश

किस्म मुकदमा – 111-128 नम्बर 286/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/12/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 08/01/2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
8/1/25	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी बाद रुक्का अनुपस्थित। विपक्षी को 3 बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- २८६/२४ तारीख 18/12/24

01. ओम प्रकाश पुत्र बालमूकन्द जाति सुनार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां बिजौलियां कलां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. पूखराज पुत्र गोपाल जाति सुनार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां बिजौलियां कलां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. राधेश्याम पुत्र गोपाल जाति सुनार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां बिजौलियां कलां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. लक्ष्मण पुत्र कैला जाति कराड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. कैलाशीबाई पत्नि घनश्याम जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. गोपाल पुत्र कैला जाति कराड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. कालु पुत्र खाना जाति तैली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. प्रभुलाल पुत्र खाना जाति तैली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. हीरालाल पुत्र खाना जाति तैली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
06. राधेश्याम पुत्र सीताराम जाति तैली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
07. गोपाल पुत्र देबीलाल जाति तैली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

...........विपक्षीगण

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांक: 8/01/25

प्रार्थना पत्र हम **ओम प्रकाश पुत्र बालमुकन्द, पुखराज, राधेश्याम पुत्र गोपाल जाति सुनार निवासी बिजौलियां, लक्ष्मण पुत्र कैला जाति कराड़ निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा** (राज.) ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते **मौजा धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा में स्थित खाता संख्या 613 पर अंकित आराजी संख्या 44/2, 59 कुल किता 02 रकबा 1.7726 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां कलां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा में स्थित खाता संख्या 613 पर अंकित आराजी संख्या 44/2, 59 कुल किता 02 रकबा 1.7726 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

आदेश सुनाया गया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 286/24 तारीख 18/12/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या 286 / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

01. ओम प्रकाश पुत्र बालमूकन्द जाति सुनार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां बिजौलियां कलां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. पूखराज पुत्र गोपाल जाति सुनार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां बिजौलियां कलां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. राधेश्याम पुत्र गोपाल जाति सुनार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां बिजौलियां कलां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. [illegible] पुत्र कैला जाति कराड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

...........प्रार्थीगण

बनाम

01. कैलाशीबाई पत्नि घनश्याम जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. गोपाल पुत्र कैला जाति कराड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. कालु पुत्र खाना जाति तैली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. प्रभुलाल पुत्र खाना जाति तैली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. हीरालाल पुत्र खाना जाति तैली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
06. राधेश्याम पुत्र सीताराम जाति तैली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
07. गोपाल पुत्र देबीलाल जाति तैली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

...........विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **मौजा धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा में स्थित खाता संख्या 613 पर अंकित आराजी संख्या 44/2, 59 कुल किता 02 रकबा 1.7726 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **बिजौलियां कंला** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां